न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 20 / 2011

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 श्रवणी देवी आयु 72 साल स्त्री रिछपाल जाति गुर्जर निवासी बासड़ी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 नानगाराम पुत्र भूणाराम उर्फ भूरिया।
2 महावीर पुत्र भूणाराम उर्फ भूरिया।
3 मंगेजाराम पुत्र सुरजाराम।
4 बिरजुराम पुत्र सुरजाराम।
5 बनवारी पुत्र सुरजाराम समस्त जाति गर्जुर निवासीगण बासड़ी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
6 तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
7 उप पंजियक उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
8 हल्का पटवारी ग्राम बासड़ी पटवार हल्का पोसाना तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मुकदाम नम्बर 57 / 10 प्रार्थना पत्र उनवानी नानगाराम वगैरह बनाम मंगेजाराम वगैरह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा तारिख आदेश 24.03.2011

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री उम्मेद राम सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 09.10.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा संख्या 57/2010 मे पारित निर्णय दिनांक 24.03.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण रेस्पोडेंट ने विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया है कि आवेदकगण ने एक दावा उनवानी नानगा आदि बनाम मंगेजा आदि मुकदाम नम्बर 7/10 न्यायालय हाजा में पेश कर रखा है। उक्त वाद में आवेदकगण ने अपने कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 115 खसरा नम्बर 210 रकबा 2.85 हैक्टेयर व खाता संख्या 94 की भूमि खसरा नम्बर 214 रकबा 2.60 हैक्टेयर ग्राम बासड़ी तहसील उदयपुरवाटी में अवस्थित है जिसके पुराने खसरा नम्बर 87/1 व 87/2 है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 210,214 के 1/2 हिस्से पर आवेदकगण के पिता भूणा उर्फ भूरिया सेटलमेंट से पूर्व से कब्जा काश्त चला आ रहा है, तथा इस बाबत कोई विवाद भी नहीं रहा है। आवेदकगण अपने 1/2 हिस्से पर पुख्ता आवास बनाकर काबिज है। जिसकी पुष्टि खसरा गिरदावरी संवत 2012 से 2015, 2018 तथा जमाबन्दी संवत 2014 से 2017 तथा 2028 से 2029 से होती है। उक्त वर्णित भूमि को लेकर अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 3 के मन में बेईमानी थी इस कारण राजस्व रिकार्ड से वादीगण का नाम हजफ करवाकर अपने नाम से राजस्व रिकार्ड कायम करवा लिया परन्तु उक्त विवादित भूमि में वादीगण आज भी मौके पर कब्जा काश्त है। उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 214 के रकबा 2.60 हैक्टेयर के सम्पूर्ण रकबे का विक्रय पत्र अनावेदकगण नम्बर 4 के हक में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

तस्दीक करवा दिया। अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3 व 4 उक्त विक्रय पत्र की आड़ में आवेदकगण को खसरा नम्बर 214 से जबरन बेदखल करने आमादा है। अगर आवेदकगण अपनी मंशा में कामयाब हो जाते है। तो आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत वाद का कोई औचित्य नहीं रहेगा तथा आवेदकगण को अपूर्णिय क्षति कारित होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3 व 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे गलत रिकार्ड व विक्रयपत्र दिनांक 27.05.2010 की आड़ में आवेदकगण को कब्जा काश्त में कोई दखल नहीं डाले तथा अनावेदकगण संख्या 5 व 7 को पाबन्द फरमाया जावें कि विधि विरूद्व तस्दीक करवाये गये विक्रय पत्र दिनांक 27.05.2010 की आड में कोई राजस्व रिकार्ड नहीं बदलें। अनावेदकगण नम्बर 6 को पाबन्द फरमाया जावे कि विवादित खसरा नम्बर का कोई दस्तावेज तस्दीक नहीं करे व मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें। विचारण न्यायालय ने बहस उभयपक्ष सुनी एवं विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकर किया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णिय क्षति के बिन्दु पर विवेचन किये बिना स्पीकिंग आदेश पारित नही किया है। अपीलांट को सदभावी केता मानकर टी.आई देने में भूल की गई है। अपीलांट मूल दावे में सहखातेदार नही है प्रश्नगत दावे में सारभूत प्रश्न नही था। अत प्रथम दृष्टया मामला नही बनता था सुविधा का सन्तुलन भी अपीलांट के पक्ष में था सदभावी केता को स्थगन आदेश से पाबन्द करना गलत था अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी अपीलांट के पक्ष में था। विचाराधीन निर्णय में कब्जे की कोई साक्ष्य नही ली गई। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें। अपने कथनों के समर्थन में आर.बी.जे. 2004 (2) पेज 270, आर.आर.टी. 2007(2) पेज 945, आर.आर.टी. 2018(2) पेज 1275, आर.आर.टी. 2002 (1) पेज 589 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट ने यह स्पष्ट नही किया है कि वे विवादित भूमि पर किस हैसियत से हक अधिकार रखते है दौराने वाद भूमि को क्रय किया गया। दावे से पूर्व कही नही थे। विवादित भूमि को बिना प्रतिफल के खरीदा गया है। विचारण न्यायालय द्वारा एक–एक बिन्दु पर विवेचन कर विचाराधीन निर्णय विधिसम्मत तरीके से पारित किया गया है। पत्रावली में भूणा के गोद जाने बाबत कोई साक्ष्य नही है। अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में होना शेष है वाद बाहुल्यता रोकने के लिये अस्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना आवश्यक था। उप पंजियक ने मौके पर जाकर विवादित भूमि की जांच में दिनांक 24.07.2010 को नानगा पुत्र भूणा का ही कब्जा पाया है। अपीलांट ने कब्जे हेतु मौके पर झगड़ा किया जिस पर धारा 307 आई.पी. सी. का मुकदमा दर्ज हुआ। विचारण न्यायालय में राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जिसमें सजरे के अनुसार वारिसान को स्वीकार किया गया है। विवादित भूमि रेस्पोडेंट के कब्जे में है अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत चस्पा नही होते है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने जवाब में तर्क दिया कि नामान्तकरण दिनांक 30.05.1962 में स्पष्ट रूप से भूणा पि.मु. बालुराम लिखा है जिससे भूणा बालु का दत्तक पुत्र होना साबित है। रेस्पोडेंट ने सिविल न्यायालय में स्पेशिफिक परफोर्मेन्स का दावा किया गया था जो आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज हो गया। उप पंजियक की जांच रिपोर्ट विश्वसनीय नही है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में वाद के विचारण के दौरान विवादित भूमि खसरा नम्बर 214 रकबा 2.60 हैक्टेयर के सम्पूर्ण रकबे का विक्रय पत्र अपीलांट श्रवणी के हक में होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है रेस्पोडेंट का कथन है कि इस विक्रय पत्र की आड़ में अपीलांट रेस्पोडेंट को बेदखल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कर कब्जा लेना चाह रहा है। प्रस्तुत प्रकरण में उप पंजियक उदयपुरवाटी की रिपोर्ट दिनांक 28.07.2010 की सत्य प्रति दौराने अपील पेश की गई है। जिसके बिन्दु संख्या 4 में उप पंजियक ने अंकित किया है कि दिनांक 24.07.2010 को मौका निरीक्षण के समय दस्तावेज में वर्णित भूमि पर शिकायतकर्ता श्री नानगाराम पुत्र भूणाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम बासड़ी का ही कब्जा पाया गया।

उपरोक्त विवेचन से विवादित भूमि पर खातेदारी अधिकार अपीलांट के पक्ष में एवं कब्जे की स्थिति रेस्पोडेंट के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरान्त होना शेष है। इससे पूर्व यदि प्रार्थी रेस्पोडेंट को बलात बेदखल किया जाता है तो अपूरणीय क्षति प्रार्थी रेस्पोडेंट को होना जाहिर है। ऐसी स्थिति में पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्यता नही हो इसे दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय ने मूल वाद के निर्णय तक विवादित भूमि की रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के जो आदेश पारित किये है, पूर्णतया विधि सम्मत पाये जाते है। जिसमें हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर